राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या 169 / 2024

रणदीप —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, चित्तौडगढ।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 20.03.2024
आदेश की दिनांक : 21.03.2024

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री सी. पी. .त्रिवेदी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गजेन्द्र सिंह, राजकीय अधिवक्ता (Standing Counsel)

समक्ष :— अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेष

अपीलार्थी ने इस अपील में स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20.02.2024 को चुनौती दी है जिसके द्वारा अपीलार्थी जो वन रक्षक के पद पर कार्यरत है, उसका स्थानान्तरण रेंज निम्बाहेडा उप वन संरक्षक, चित्तौडगढ से उप वन संरक्षक, वन्यजीव चित्तौडगढ किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेष में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलार्थी को वनरक्षक पद पर किस रेंज में पदस्थापित किया गया है। आलोच्य आदेश में केवल उप वन संरक्षक, वन्यजीव, चित्तौडगढ अंकित है, रेंज का नाम अंकित नहीं है जिसमें बिना विवेक का उपयोग किये उक्त स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये हैं। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि अपीलार्थी के स्थान पर अन्य किसी को भी पदस्थापित नहीं किया गया है और वर्तमान कार्य स्थल रिक्त रखा गया है, जोकि उचित नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से लगभग 6 माह में ही स्थानान्तरित कर दिया गया है जो अल्प समय में स्थानान्तरित किया गया है एवं जो उचित नहीं है। उनका तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग की स्थानान्तरण नीति के अनुसार किसी भी कार्मिक को 2 वर्ष से पूर्व स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तथ्यों पर विचार—विमर्श किया। अपीलार्थी को उप वन संरक्षक वन्यजीव चित्तौडगढ कार्यालय में पदस्थापित किया गया है

ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी के सम्बन्ध में कोई स्थान विषेष का हवाला नहीं दिया गया हो। अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर द्वारा कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव चित्तौडगढ में किये जाने को गलत नहीं माना जा सकता। जहां तक स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध जा कर 2 वर्ष के अन्दर स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आपत्ति है, इस सम्बन्ध में हमने प्रत्यर्थी विभाग की स्थानान्तरण नीति का अवलोकन किया। उक्त स्थानान्तरण नीति मुं बिन्दु संख्या 6.2 निम्न प्रकार है :–

> *''राज्य सरकार द्वारा किसी राज्यकर्मी (अधिकारी/कर्मचारी) का स्थानान्तरण आवष्यक्ता (एक्सीजेंसी) को ध्यान में रखते हुए कभी भी बिना कारण बताये किया जा सकेगा।''*

राज्य सरकार को यह अधिकार है कि आवश्यकता अनुसार किसी भी कार्मिक को बिना कोई कारण बताये स्थानान्तरण किया जा सकता है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य आदेश में यह उल्लेखित नहीं है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है।

इस सम्बन्ध में हमारा मत है कि अपीलार्थी चूंकि लोक सेवक है उसका स्थानान्तरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर द्वारा किया गया है, एवं स्थानान्तरण आदेश की सूची में सम्मिलित 115 अन्य वनरक्षकों के साथ–साथ अपीलार्थी का स्थानान्तरण भी किया गया है, अतः यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण बिना किसी प्रषासनिक आवष्यक्ता के स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध किया गया है। उक्त विवेचन के आधार पर हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश में कोई हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है। परिणामस्वरूप हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते हैं, अतः यह अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)